निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 5/2024
दायरा दिनांकः–25.09.2024
निर्णय दिनांकः– 20.11.24

उनवान

1. प्रेमलाल उम्र 72 साल पुत्र हरनारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम बिशनखेडा चैना तहसील छबडा जिला बारां राजस्थान

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां राजस्थान
2. कन्हैयालाल पुत्र प्रेमलाल
3. श्रीकिशन पुत्र प्रेमलाल
4. शिवराज सिंह पुत्र प्रेमलाल जातियान गुर्जर निवासीगण ग्राम बिशनखेडा चैना तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
5. सरपंच ग्राम पंचायत पाली तहसील छबडा

अपील नामान्तकरण नम्बर 622 दिनांक 20.02.2024 ग्राम बिशनखेडा चैना

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0एक्ट

निर्णय दिनांकः– 20.11.24

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री सुरेन्द्र भार्गव– प्रार्थी

अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील नामान्तकरण नम्बर 622 दिनांक 20.02.2024 ग्राम बिशनखेडा चैना अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0एक्ट वाके ग्राम बिशनखेडा चैना तहसील छबडा जिला बारा की आनलाईन जमाबंदी संवत 2079 वर्ष 2023 से स्थाई खाता संख्या 71 में दर्ज खसरा नंबर 334 रकया 0.9484 है० खसरा नंबर 232 रकबा 0.9485 है०, कुल किता 2 कुल रकबा 1.8969 भूमी अपीलाट के हिस्स 1/4 में खाते दर्ज रिकार्ड थी। उक्त ग्राम बिशनखेडा चैना के खाता संख्या 72 के खसरा नंबर 349/3 रकबा 0.5059 है० एवं खसरा नंबर 3/21 रकबा 2.5293 है० कुल कित्ता 2 कुल रकबा 3. 0352 20 भूमी अपीलाट के खाते दर्ज रिकार्ड जमाबंदी थी। एवं खाता संख्या 99 में भूमी खसरा नंबर 363 रकबा 0.3541 है०, खसरा नंबर 384 रकबा 0.5059 है० कुल किता 2 तादादी 0.8600 है० भूमी का 1/2 हिस्सा अपीलांट के खाते दर्ज रिकार्ड जमाबेदी था। एवं खाता संख्या 100 में भूमी खसरा नंबर 100 रकबा 0.0253 है०, खसरा नंबर 220 रकबा 0. 0506 है० खसरा नबर 221 रकबा 0.0126 है०, खसरा नबर 222 रकबा 0.6829 है०, खसरा नंबर 223 रकबा 0.3667 है० कुल किता 5 तादादी 11381 है० भूमी में अपीलांट का हिस्सा 1/6 दर्ज रिकार्ड जमाबदी था। एवं इसी प्रकार खाता संख्या 101 में खसरा नंबर 368 रकबा 0.0885 है०, खसरा नवर 369 रकबा 0.2529 है०, खसरा नटर 371 रकबा 0.5691 है०, खसरा नंबर 372 रकबा 0.0379 है० खसरा नंबर 373 रकबा 0.5691 है०, खसरा नंबर

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

394 रकबा 0.9991 है० खसरा नंबर 395 रकबा 0.4679 है०, खसरा नंबर 399 रकबा 0. 8852 है०. कुल किता 8 तादादी 3.8697 है० भूमी में अपीलांट का हिस्सा 1/3 दर्ज रिकार्ड जमाबंदी था। अपीलाट ने दिनांक 16/01/2024 को अपनी स्वेच्छा से मद नं 1 में वर्णित भूमी में से खसरा नंबर 3/21 रकबा 2.5293 है० भूमी में अपने सम्पूर्ण हिस्से को छोडकर समस्त खसरा नंबरान में अपने हिस्से का दानपत्र अपने सगें बेटो रेसपोंडेन्ट कम 2 ता 4 के नाम तहसील छबडा में उपस्थित होकर पंजीयन करवा दीया था। अपीलांट द्वारा दानपत्र तस्दीक कराने के पश्चात रेस्पोंडेन्ट कम 2 ता 4 ने प्रस्तुत दानपत्र नामान्तकरण हेतू हल्का पटवारी पाली को पेश किया जिस पर हल्का पटवारी पाली द्वारा उक्त दानपत्र का नामान्तकरण दिनांक 20/02/2024 को जरीये नामान्तकरण नंबर 622/2024 ग्राम चैना पटवार हल्का पाली ने दानपत्र रजि० दिनांक 18/01/2024 के आधार पर दिनांक 08/02/2024 को दर्ज किया तथा उक्त नामान्तकरण दिनाक 20/02/2024 को ग्राम पंचायत पाली द्वारा स्वीकृत किया गया। ग्राम बिशनखेडा चैना के पटवारी हल्का ने ग्राम बिशनखेडा चैना के नामान्तकरण नंबर 622 को दर्ज करते वक्त सहवन से दानपत्र दिनांक 18/01/2024 का नामान्तकरण खाता सेख्या 72 की सम्पूर्ण भूमि खसरा नंबर 3/21 रकबा 2.5293 है०, खसरा नंबर 349/3 रकबा 0.5059 है० कुल किता 2 तादादी 3.0352 है० भूमी पर दर्ज होगया जबकी मुताबिक दानपत्र के खाता संख्या 72 की खसरा नंबर 349/3 रकबा 0.5059 है० भूमि पर ही नामान्तकरण दर्ज करना था। अपील की मद नंबर 1 में वर्णित भूमी खाता संख्या 71 में दर्ज खसरा नंबर 334 रकबा 0.9484 है०, खसरा नंबर 338 रकबा 0.9485 है०, कुल किता 2 कुल रकबा 1.8969 भूमी अपीलांट के हिस्से 1/4 में खाते दर्ज रिकार्ड थी। उक्त ग्राम बिरूानखेडा के खाता संख्या 72 के खसरा नंबर 349/3 रकबा 0.5059 है० एवं खसरा नंबर 3/21 रकबा 2.5293 है० कुल किता 2 कुल रकबा 3. 0352 है० भूमी अपीलांट के खाते दर्ज रिकार्ड जमाबंदी थी। एवं खाता संख्या 99 में भूमी खसरा नंबर 363 रकबा 0.3541 है०, खसरा नंबर 384 रकबा 0.5059 है० क्ल किता 2 तादादी 0.8600 है० भूमी का 1/2 हिस्सा अपीलांट के खाते दर्ज रिकार्ड जमाबेदी था। एवं खाता संख्या 100 में भूमी खसरा नंबर 100 रकबा 0.0253 है०, खसरा नंबर 220 रकबा 00506 है०, खसरा नंबर 221 रकबा 0.0126 है०. खसरा नंबर 222 रकबा 0.6829 है०, खसरा नंबर 223 रकबा 0.3667 है० कुल किता 5 तादादी 1.1381 है० भूमी में अपीलांट का हिस्सा 1/6 दर्ज रिकार्ड जमाबंदी था। एवं इसी प्रकार खाता संख्या 101 में खसरा नंबर 368 रकबा 0. 0885 है०, खसरा नंबर 369 रकबा 0.2529 है०, खसरा नंबर 371 रकबा 0. 5691 है०, खसरा नंबर 372 रकबा 0.0379 है० खसरा नंबर 373 रकबा 0.5691 है0, ड्प्ड खसरा नंबर 394 रकबा 0.9991 है० खसरा नंबर 395 रकबा 0.4679 है०, खसरा नंबर 399 रकबा 0.8852 है०, कुल किता 8 तादादी 3.8697 है0 भूमी पर दानपत्र का नामान्तकरण नंबर 622 दिनांक 20/02/2024 ग्राम बिशनखेडा चौना को खारीज किया जाना न्यायसंगत है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेंट बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अपीलान्ट द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम बिशनखेडा चैना सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 72 नकल जमाबन्दी ग्राम बिशनखेडा चैना सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 101 नकल जमाबन्दी ग्राम बिशनखेडा चैना सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 100 नकल जमाबन्दी ग्राम बिशनखेडा चैना सम्वत् 2075–78 खाता 99 नकल जमाबन्दी ग्राम बिशनखेडा चैना सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 71 नकल दान

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

त्र दिनांक 16.01.2024 नकल नामान्तरण संख्या 622 दिनांक 20.02.2024 ग्राम बिशनखेडा चैना पेश किया गया।

बहस अभिभाषक अपीलान्ट सूनी गई बहस के दौरान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील अपीलान्ट का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम बिशनखेडा चैना तहसील छबडा में स्थित है अपीलान्ट ले दिनांक 18.01.2024 को विवादित आराजी ग्राम बिशनखेडा चैना के खसरा नम्बर 3/21 रकबा 2.5293 है भूमि में अपने अपने सम्पूर्ण हिस्से को छोडकर समस्त खसरा नम्बरान में अपने हिस्से का रजिस्टर्ड दान पत्र अपने सगे बेटो को करवा दिया था दान पत्र का नामान्तरण संख्या 622 हल्का पटवारी द्वारा खोला गया सरपंच ग्राम पंचायत पाली द्वारा दिनांक 20.02.2024 को तस्दीक किया गया। नामान्तरण खोलतें समय हल्का पटवारी पाली से खसरा नम्बर 3/21 रकबा 2.5293 है0 खसरा नम्बर 349/3 रकबा 0.5059 है0 भूमि दर्ज हो गया जबकि मुताबिक दानपत्र के आधार पर खाता संख्या 72 की खसरा नम्बर 349/3 रकबा 0.5059 है0 भूमि पर ही नामान्तरण दर्ज करना था। अपीलान्ट द्वारा खसरा नम्बर 3/21 रकबा 2.5293 है0 का दानपत्र नही किया गया फिर भी उक्त खसरा नम्बर का नामान्तरण दान पत्र किये गये खसरा नम्बरान के साथ नामान्तरण खोल दिया गया जो काबिल खारिज है। अपील अपीलान्ट स्वीकार कर नामान्तरण संख्या 266 खारिज फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक अपीलान्ट सूनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी ग्राम बिशनखेडा चैना सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 72 के अनुसार रेस्पोंडेट क्रम 2 ता 4 के नाम दर्ज रिकार्ड है नकल जमाबन्दी ग्राम बिशनखेडा चैना सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 101 में रेस्पोडेन्ट क्रम 2 ता 4 का नाम शामलाती खातेदारी में हिस्सा 1/9 – 1/9 दर्ज है। नकल जमाबन्दी ग्राम बिशनखेडा चैना सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 100 में रेस्पोडेन्ट क्रम 2 ता 4 का नाम शामलाती खातेदारी में हिसा 1/18 – 1/18 दर्ज है इसी प्रकार खाता संख्या 99 में रेस्पोडेन्ट क्रम 2 ता 4 का नाम दर्ज है जिसमें हिस्सा 1/6 – 1/6 शामलाती खातेदारी में दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम बिशनखेडा चैना सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 71 में रेस्पोडेन्ट क्रम 2 ता 4 का नाम शामलाती खातेदारी में हिस्सा 1/12 – 1/12 दर्ज है नकल रजिस्टर्ड दानपत्र दिनांक 18.01.2024 के अनुसार अपीलान्ट द्वारा खाता संख्या 72 के खसरा नम्बर 349/3 रकबा 0.5059 है0 खाता संख्या 71 में हिस्सा 1/4 सम्पूर्ण खाता संख्या 99 मे हिस्सा 1/2 सम्पूर्ण खाता संख्या 100 में हिस्स 1/6 सम्पूर्ण खाता संख्या 101 में हिस्सा 1/3 सम्पूर्ण हिस्से को अपने सगे पुत्र कन्हैयालाल, श्रीकिशन, शिवराज सिंह पुत्र प्रेमलाल जाति गुर्जर निवासी बिशनखेडा चैना तहसील छबडा जिला बांरा को बाट बराकर से दान किया जाना अंकित है इससे यह साबित होता है कि अपीलान्ट द्वारा खसरा नम्बर 3/21 रकबा 2.5293 है0 को छोडकर शेष सम्पूर्ण भूमि रेस्पोडेंट क्रम 2 ता 4 को रजिस्टर्ड दान किया गया था परन्तु दान पत्र का नामान्तरण खोलतें समय खसरा नम्बर 3/21 रकबा 2.5293 है भूमि का भी नामान्तरण खोल दिया गया जबकि खसरा नम्बर 3/21 का अपीलान्ट द्वारा दान पत्र ही नही किया गया। नामान्तरण संख्या 622 दिनांक 20.02.2024 खारिज कर तहसीलदार छबडा को पुनः नामान्तरण खोलने हेतु रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

:: **क्रियात्मक आदेश** ::

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है नामान्तरण संख्या 622 दिनांक 20.02.2024 खारिज किया जाता है। तहसीलदार छबडा को रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता है कि दान पत्र दिनांक 18.01.2024 के अनुसार पुनः नामान्तरण खोला जाकर तस्दीक किया जावे।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)